राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1360/2022

कल्याण सहाय मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, दौसा।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बांदीकुई, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.04.2022

आदेश की दिनांक : 03.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.04.2022 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4800 एवं 5400 प्रदान किया जावे एवं शेष राशि सहित उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत है और 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी को

प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 4200 स्वीकृत किया जा चुका है और द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 4800 एवं 5400 प्रत्यर्थी विभाग को दी जानी चाहिए। परंतु अपीलार्थी को उक्त वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2022 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से 4200 से 3600 ग्रेड पे दिए जाने का आदेश किया गया है। जबकि 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को 4200 ग्रेड पे प्रदान की जानी चाहिए। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 21.12.1995 के द्वारा हुई थी और उसे आदेश दिनांक 17.10.1997 के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 4800 एवं 5400 प्राप्त करने का अधिकारी है। उनका कथन है कि अधिकरण द्वारा ऐसे मामलों में कई आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें कार्मिकों को उक्त लाभ प्रदान किया किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त आदेश के क्रम में ग्रेड पे 4800 एवं 5400 प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.04.2022 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4800 एवं 5400 प्रदान किया जावे एवं शेष राशि सहित उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। उक्त अध्यापकों को 9, 18, 27 वर्षीय ए.सी.पी. में प्रथम नियुक्ति पद प्रयोगशाला सहायक की एन्ट्री ग्रेड–पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। अपीलार्थी की प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी एवं आदेश दिनांक 07.08.1998 के द्वारा उसका समायोजन अध्यापक ग्रेड–तृतीय श्रेणी के पद पर किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम सीधी

नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड–पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया हैं। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। अपीलार्थी को 10 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 02.07.2003 से दिया गया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 02.07.2011 से दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 21.12.1995 के द्वारा हुई थी और उसे आदेश दिनांक 17.10.1997 के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित किया गया। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 29.07.1997 एवं 03.10.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किया गया है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 07.04.2022 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया

जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की नियमित तिथि से सेवाओं की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार) लाभ देकर फिक्सेशन किये जाने पर विचार किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य